

27⁵/₂₄ पत्रावली पेश की अधिवक्ता वकील
 को नहीं है चापावली में उपाय नहीं है
 है कि अगर दिख जायगी
 पत्रावली दिनांक 10. 2. 24 को पेश है

10⁷/₂₄ पत्रावली पेश हुई। चापावली समय
 में ब्याज-ब्याज आवाज लावारी गरी करने
 वाली व उनके अधिवक्ता को उपाय
 नहीं हुआ लिहाजा प्रकटा फदम पैसी।
 फदम एजरी में खारीज किया जाता है।
 पत्रावली फौजदारी हो कर नम्बर
 से कर हो लिखि खुले चापावली में
 (खुलापा जय)



~~सहायक कलेक्टर~~
 (एस.डी.ओ.), कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द

